राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः ई–20/म0स्वा0कार्य0/वीआरएस–49/2017/ दिनांकः–

आदेश

श्रीमती कमलेश कुलश्रेष्ठ, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अधीन प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, सवाई माधोपुर, जिनकी जन्मतिथि 01.06.1958 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 24.09.1986 है, को उनकी स्वंय की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन 1996 के नियम 50(1) में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 01.10.2017 से राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृति प्रदान की जाती है। दिनांक 01.10.2017 इनका अकार्य दिवस माना जावेगा।

इनके विरूद्ध आज तकः–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः ई–20/म0स्वा0कार्य0/वीआरएस–49/2017/1318 दिनांकः–22/09/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकि0 एवं स्वा0 विभाग, राज0, जयपुर को उनके क्रमांक 1644/M/M&H/17 दिनांक 04.09.17 की अनुपालना में।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि0 एवं स्वा0 विभाग, राज0, जयपुर को उनकी आई.डी. क्रमांक 5448 Pr.Sec./M&H/2017 दिनांक 04.09.2017 की अनुपालना में।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनकी आई.डी. क्रमांक 1430 दिनांक 11.09.17 के संदर्भ में।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, सवाई माधोपुर।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान,जयपुर

Desktop\ANM\ANM order 2017